

FAQ

1- प्रश्न— नामान्तरण के लिए क्या कोई शुल्क भी देय है ?

उत्तर— आवेदन शुल्क रु 50.00 के साथ ऑनलाईन जमा कराना होगा। इसके अतिरिक्त मृत्यु की दशा के विज्ञापन शुल्क भी देय होगा।

2. प्रश्न— क्या नामान्तरण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित है ?

उत्तर— 60 दिवस

3. प्रश्न— आवेदन के साथ क्या-क्या दस्तावेज लगाने होंगे ?

उत्तर— आवेदक आवेदन के साथ निम्न अभिलेख सॉफ्टकॉपी में अपलोड किये जायेंगे :—

Sr.	Type of Document	Death Case	Sale Case	Gift Case
1	Photo of Applicant: (jpg)	✓	✓	✓
2	Applicant ID Proof: (jpg)	✓	✓	✓
3	Affidavit: (pdf)	-	✓	✓
4	Sale Deed: (pdf)	-	✓	-
5	Succession Certificate: (pdf)		-	-
6	Death Certificate: (gif, png, jpg, jpeg, pdf)	✓	-	-
7	Registered Will: (gif, png, jpg, jpeg, pdf)	If any	-	-
8	Gift Deed: (gif, png, jpg, jpeg, pdf)	-	-	✓
9	Power of Attorney: (gif, png, jpg, jpeg, pdf)	If any	If any	If any

4. प्रश्न— म्यूटेशन की फीस आवेदक द्वारा ऑनलाईन जमा कर दी गयी है, परन्तु म्यूटेशन चार्ज की माँग आवेदक से की जानी है। आवेदक से म्यूटेशन चार्ज की धनराशि कैसे माँगी जाये और आवेदक ऑनलाईन कैसे जमा करायेगा ?

उत्तर— प्राधिकरण के द्वारा म्यूटेशन की फीस को प्राधिकरण के सक्षम आफिसर द्वारा “Notify Applicant for fee submission” का बटन दबाकर आवेदक को सूचना प्रेषित की जायेगी। तत्पश्चात् आवेदक माँगी गयी धनराशि को डेबिट/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाईन जमा करा सकेगा।

5. **प्रश्न—** मैंने जनहित सेवाओं के अर्न्तगत म्यूटेशन में आवेदन किया था तथा आवेदन फीस का भुगतान भी ऑनलाईन कर दिया था। अब प्राधिकरण द्वारा म्यूटेशन चार्ज की धनराशि ऑनलाईन जमा कराने के लिए कहा जा रहा है। मैं माँगी गयी धनराशि किस प्रकार ऑनलाईन जमा कर सकता हूँ ?

उत्तर— आवेदक अपने यूजरनेम तथा पासवर्ड की सहायता से लॉगइन करना होगा तत्पश्चात् आवेदक का डेसबोर्ड खुल जायेगा जिसमें Application Number आदि विवरण दिखाई देंगे, अन्तिम कॉलम “ACTION” का होगा उसमें तीन Button दिखाई देंगे उनमें से “Pay Button” पर click करें और ऑनलाईन भुगतान हेतु स्क्रीन आ जायेगी।